



KANNAUJ POLICE



दिनांक: 21 जनवरी 2025

प्रेस नोट -जनपद कन्नौज

थाना तिर्वा पुलिस द्वारा गौवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम में 08 नफर अभियुक्त किये गये गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक कन्नौज विनोद कुमार के निर्देशन में जनपद कन्नौज में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज अजय कुमार के मार्गदर्शन में, एवं क्षेत्राधिकारी तिर्वा डॉ प्रियंका बाजपेयी के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना तिर्वा जितेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गोवध निवारण अधिनियम व पशुक्रूरता अधिनियम में थाना तिर्वा पुलिस द्वारा 08 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

➤ संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.01.2025 को मुखबिर की सूचना मिली कि एक ट्रक जिसका नम्बर UP75M4591 जो आगरा – लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगरा से लखनऊ की तरफ जा रहा था। जिसमें गौवध करने हेतु कुछ गायों को ले जाया जा रहा था । सूचना पर थाना तिर्वा पुलिस द्वारा तत्काल आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 192 km पर घेराबन्दी कर उक्त ट्रक को रोका गया । जिसमें 08 व्यक्ति बैठे थे तथा ट्रक में कुल 08 गायें, 01 बछडा जीवित अवस्था में व 01 बछडा व 01 बछिया मृत पाये गये तथा ट्रक में बैठे 08 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गौवंश को थाना ठठिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खैरनगर गौशाला में भिजवाया गया । जिसके संबंध में थाना तिर्वा पर मु0अ0सं0 29/2025 धारा 3/5(ख) गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 207 एम0बी0 एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता :-

1. प्रांशू उर्फ गोलू पुत्र हरीसिंह कुशवाहा निवासी अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र 22 वर्ष ।
2. साकिर पुत्र लुकमान निवासी अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र करीब 35 वर्ष ।
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिंह निवासी अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र करीब 50 वर्ष ।
4. अनीश पुत्र लुकमान निवासी अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र करीब 28 वर्ष ।
5. राघवेन्द्र पुत्र हरीराम निवासी नगलापूट थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र करीब 28 वर्ष ।

6. कुंवरपाल पुत्र सुगरसिंह निवासी नगला खेमी थाना चौबिया जनपद इटावा उम्र करीब 42 वर्ष ।
7. अलताफ पुत्र लुकमान निवासी अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र करीब 26 वर्ष ।
8. अनूप यादव पुत्र रामविलास उर्फ रामनिवास निवासी पतीला थाना मनेर जिला पटना (बिहार) उम्र करीब 48 वर्ष ।

➤ **पूछताछ का विवरण :-** अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग गांवो से गायों को एकत्र करते है जिससे कुछ सस्ते दामों पर लेकर तथा कुछ घुमन्तू पकड़कर उसके बाद पशु चिकित्सक का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर उनको ट्रक से लादकर बिहार लेजाकर महंगे दाम पर कटवा देते हैं । इस काम में हम लोगों के साथ सोनू चौहान व प्रवेश भी शामिल हैं जो गौवंशों को ले जाकर बिहार में बेचने व कटवाने का काम प्रवेश और राघवेन्द्र करता है । गाड़ी की व्यवस्था सुरेन्द्र सिंह चौहान व उसका सगा भतीजा सोनू चौहान करता है । इसके पहले इटावा के इकदिल में भी जानवर लेकर एक केंटर से जा रहे थे तो कोहरे के कारण गाड़ी रोड से नीचे उतर गई थी तो छोड़कर भाग गये थे ।

➤ **आपराधिक इतिहास –**

1 – राघवेन्द्र पुत्र हरीराम उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नगलापूट थाना इकदिल जनपद इटावा

1. मु0अ0सं0 245/2020 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 429 भादवि थाना बसरेहर जनपद इटावा
2. मु0अ0सं0 23/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 307,420 भादवि व /5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 429 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा
3. मु0अ0सं0 29/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 307 भादवि थाना चौबिया इटावा
4. मु0अ0सं0 55/2024 धारा 3(1) , 2 गैंगस्टर एक्ट थाना चौबिया इटावा
5. मु0अ0सं0 209/2016 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना महाराजपुर पूर्वी कमिश्नरेट कानपुर
6. मु0अ0सं0 26/2016 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 429 भादवि थाना महाराजपुर पूर्वी कमिश्नरेट कानपुर
7. मु0अ0सं0 522/2022 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व 5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना बिल्हौर पश्चिमी कमिश्नरेट कानपुर
8. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 3/5(ख) गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 207 एम0बी0 एक्ट कोतवाली तिर्वा

2 - अनीश पुत्र लुकमान निवासी अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा

1. मु0अ0सं0- 0037/2023 धारा 60 आबकारी एक्ट बकेवर इटावा
2. मु0अ0सं0 0295/2021 धारा 13 जुआ अधि0 बकेवर इटावा

3. मु0अ0सं0 0520/2020 धारा 120-B, 182, 193, 323, 34, 342 भादवि बकेवर इटावा
4. मु0अ0सं0 521/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बकेवर इटावा
5. मु0अ0सं0 522/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बकेवर इटावा
6. मु0अ0सं0 108/2016 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना अजीतमल जनपद औरैया
7. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 3/5(ख) गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 207 एम0बी0 एक्ट कोतवाली तिर्वा

3 - अनूप यादव पुत्र रामनिवास उर्फ रामविलास उम्र 48 वर्ष निवासी पतीला थाना मनेर जिला पटना

1. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 3/5(ख) गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 207 एम0बी0 एक्ट कोतवाली तिर्वा
2. मु0अ0सं0 355/2015 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बिरनो जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 448/2017 धारा 279/307/419/420/467/468/471 भादवि व 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना मिर्जामुराद जनपद गोमती (कमिश्नरेट वाराणसी)
4. मु0अ0सं0 449/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मिर्जामुराद जनपद गोमती (कमिश्नरेट वाराणसी)
5. मु0अ0सं0 05/2018 धारा 3(1) गैंग0 एक्ट थाना मिर्जामुराद जनपद गोमती (कमिश्नरेट वाराणसी)

4 - अलताफ पुत्र लुकमान निवासी अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा

1. मु0अ0सं000302/2022 धारा 279, 304-A, 427 भादवि बकेवर इटावा
2. मु0अ0सं0 40/2018 धारा 13 जुआ अधि0 बकेवर इटावा
3. मु0अ0सं0 0520/2020 धारा 120-B, 182, 193, 323, 34, 342 भादवि बकेवर इटावा
4. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 3/5(ख) गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 207 एम0बी0 एक्ट कोतवाली तिर्वा

5 - साकिर पुत्र लुकमान नि0 अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा

1. मु0अ0सं0-173/2018 धारा 323/504/325 भादवि थाना बकेवर इटावा
2. मु0अ0सं0 515/2015 धारा 147, 363, 366, 504, 506 भादवि व 3(1)(x)SC/ST ACT थाना बकेवर इटावा
3. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 3/5(ख) गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 207 एम0बी0 एक्ट कोतवाली तिर्वा

6 - कुँवर पाल पुत्र सुगर सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी नगला खेमी थाना चौबिया जनपद इटावा

1. मु0अ0सं0 23/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 307,420 भादवि व /5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 429 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा

2. मु0अ0सं0 55/2024 धारा 3(1) , 2 गैंगस्टर एक्ट थाना चौबिया इटावा
3. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 3/5(ख) गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 207 एम0बी0 एक्ट कोतवाली तिर्वा

7- सुरेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी अहेरीपुर थाना बकेवर इटावा

1. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 3/5(ख) गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 207 एम0बी0 एक्ट कोतवाली तिर्वा

8 - प्रांशू उर्फ गोलू पुत्र हरी सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी अहेरीपुर थाना बकेवर इटावा

1. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 3/5(ख) गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 207 एम0बी0 एक्ट कोतवाली तिर्वा

➤ गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. प्र0नि0 जितेन्द्र प्रताप सिंह थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
2. उ0नि0 पंकज कुमार थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
3. उ0नि0 सुरेश चन्द्र थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
4. का0 834 ओमवीर थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
5. का0 591 दीपक थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
6. चालक हे0का0 253 वीरेन्द्र सिंह थाना तिर्वा जनपद कन्नौज

